न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–156/2013

CIS No.-TS 322/2018

शिव प्रसाद सिंह.....वादी

बनाम

रेशमी देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

`DATE	ORDER	REMARKS
18.11.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से दिनांक 12.09.2025 को दाखिल आवेदन अंदर धारा 74 वो 77 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता पर सुना। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 12.09.2025 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादी साक्ष्य हेतु चल रहा है। वादी की ओर से अपने दावे के समर्थन में दिनांक 08.10.2015 को हालसर्वे खयितान खाता–17 बनाम कुमार महतो वगैरह की सच्ची प्रति वो हालसर्वे खयितान खाता–55 बनाम नारायण महतो वगैरह की सच्ची प्रति वो हालसर्वे खतियान खाता–103 बनाम सरल महतो की सच्ची प्रति वो दिनांक 03.19.2015 को अंचल अधिकारी, नरकटियागंज के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0–322 से 336/2005–06 में पारित आदेश फलक की सच्ची प्रति वो बैयनााम दस्तावेज दिनांक 29.01.1946 नविस्ते महाबीर साह बगैरह बनाम मंगल महतो वगैरह की सच्ची प्रति को सूची के साथ न्यायाल में दाखिल किया गया है, जो अभिलेख पर मौजूद है। विदित हो कि बैयनामा दस्तोवज दिनांक 29.01.1946 नविस्ते महावीर साह बगैरह बनाम मंगल महतो वगैरह की सच्ची प्रति को वादी साक्षी सं0–01 के द्वारा अपने साक्ष्य के माध्यम से साबित भी किया गया है, परन्तु प्रदर्श अंकित होना छुट गया है। उपरोक्त वर्णित सभी कागजात लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते है, जिसको साबित करने हेतु किसी औपचारिक साक्षी की आवश्यकता नहीं है। वादी द्वारा दाखिल सभी कागजात विवादित भूमि से निहायत जरूरी कागजात है, जो वाद के उचित न्याय निर्णयन हेतु अति आवश्यक है। लेहाजा उपरोक्त वर्णित सभी कागजातों को प्रदर्श	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–156/2013

CIS No.-TS 322/2018

शिव प्रसाद सिंह.....वादी

बनाम

रेशमी देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 18.11.2025	अंकित करने हेतु आदेश नहीं दिया जाता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त वर्णित सभी कागजातों को प्रदर्श अंकित करने हेतु आदेश देने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया है तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर रखा जाना चाहिए, जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादी द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 12.09.2025 को स्वीकार करते हुए दाखिल कागजातों को क्रमशः प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 12.12.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	